संoसं०-K/12/2026-SEC-8 UDHD DEPT

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

दिनांक- 10/11/26

विषय:-नगर विकास एवं आवास विभाग पटना अन्तर्गत विभागीय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु इस्तेमाल हो रहे Zoom Meeting लाईसेंस का अगले 01 वर्ष की क्रय की अग्रिम भुगतान हेतु समर्पित विपत्र की राशि 80,760/ (अस्सी हजार सात सौ साठ रूपये) मात्र एवं माह सितम्बर एवं अक्टूबर के Zoom Meeting लाईसेंस क्रय की मासिक विपत्र की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु श्री रवि रंजन, प्रोग्रामर द्वारा समर्पित विपत्र का भुगतान हेतु रू0 13,452/- (तेरह हजार चार सौ बावन रूपये) एवं श्री रजीव शंकर, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का DSC निर्गत करने हेतु बेलट्रॉन को भुगतेय राशि रू0 2375/- अर्थात समेकित रूप से कुल रू0 96,587/- (छियानवे हजार पॉच सौ सत्तासी रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में e-Governance मद में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

नगर विकास एवं आवास विभाग पटना अन्तर्गत विभागीय विडियों कॉन्फ्रेंसिंग हेतु इस्तेमाल हो रहे Zoom Meeting लाईसेंस का अगले 01 वर्ष (माह नवम्बर 2026 से अक्टूबर 2027) की क्रय का अग्रिम भुगतान हेतु रू0 80,760/- (अस्सी हजार सात सौ साठ रूपये) मात्र का विपत्र समर्पित किया गया है। साथ ही विभागीय विडियों कॉन्फ्रेंसिंग हेतु इस्तेमाल हो रहे Zoom Meeting लाईसेंस क्रय दिनांक-10 सितम्बर 2026 से 09 अक्टूबर 2026 तक एवं 10 अक्टूबर 2026 से 09 नवम्बर 2026 तक के मासिक विपत्र की राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु श्री रविरंजन प्रोग्रामर द्वारा क्रमश: 6726/- एवं 6726/- का समर्पित विपत्र की समेकित कुल राशि रू0 13,452/- (तेरह हजार चार सौ बावन रूपये) मात्र एवं श्री रजीव शंकर, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का DSC निर्गत करने हेतु बेलट्रॉन को भुगतेय डिमांड ड्राफ्ट की राशि रू0 2375/- (दो हजार तीन सौ पचहत्तर) मात्र अर्थात समेकित रूप से कुल 96,587/- (छियानवे हजार पॉच सौ सत्तासी रूपये) मात्र का e-Governance मद में सहायक अनुदान व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

2 उक्त स्वीकृति रू0 96,587/- (छियानवे हजार पॉच सौ सत्तासी रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडा के पी0एल0 खाता सं0-PBBPLA015, HOA संख्या-00-8448-00-120-0035-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से ऑनलाईन हस्तांतरित किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में

AC विपत्र पर नहीं की जायगी। बुडा द्वारा DSC निगत करने हेतु राशि रू0 2375/- (दो हजार तीन सौ पचहत्तर) मात्र बेलट्रॉन को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं श्री रवि रंजन प्रोगामर को रू0 13,452/- (तेरह हजार चार सौ बावन रूपये) मात्र उनके द्वारा उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जायेगा तथा रू0 80,760/- (अस्सी हजार सात सौ साठ रूपये) मात्र की राशि बुडा के पी0एल0 खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।

3 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1496 दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नम्बर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4 वित्त विभाग के संकल्प सं0-573 दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009 9736 दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार सहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

5 कुल स्वीकृति रू0 96,587/- (छियानवे हजार पॉच सौ सत्तासी रूपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएँ, लघु शीर्ष-001, निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0101-ई0-गवर्नेस/नगरीय सुधार कार्यक्रमो एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु विपत्र कोड-48-2217050010101, विषय शीर्ष-31-06 सहायक अनुदान और-गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

6 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7 आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- K/12/2026-SEC-8 UDHD DEPT के Note 53 पर दिनांक-26.10.2026 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति Note 60 पर दिनांक-04.11.2026 को प्राप्त है।

8 इसकी सूचना अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

243

10/11/26

प्रतिलिपि-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 03, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।